BIO-DATA/CURRICULUM VITAE PERFORMA

1. Name and Address (in Block Letters)	
2. Date of Birth (in Christian era)	
3. I) Date of entry into service	
ii) Date of retirement under Central/ State Government Rules	
4. Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. **(If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)**	
Qualification/ Experience required as mentioned in the advertisement / vacancy circular	**Qualifications/ experience possessed by the officer**
Essential	**Essential**
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	B) Experience
Desirable	**Desirable**
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	B) Experience

5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs **by the Administrative Ministry/ Department / Office** at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.
5.2 in the case of Degree and Post Graduate Qualification Elective / main subjects and subsidiary subjects may be indicated **by the candidate**.

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	

6.1 **Note: Borrowing Department are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied.**

7. Details of Employment, in chronological order, **enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.**

Office / Institution	Post held on regular basis	From	To	*Pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the post held on regular basis	Nature of Duties (in Detail) highlighting experience required for the post applied for

14/07/2015

***Important:** Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/ MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate may be indicated as below;

Office/ Institution	Pay, Pay Band and Grade Pay drawn under ACP/ MACP Scheme	From	To

8. Nature of present employment i.e Ad-hoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent			
9. In case the present employment is held on deputation/ contract basis, please state-			
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/ contract	c) Name of the parent office/ organization to which the applicant belongs.	d) Name of the post and Pay of the post held in substantive capacity in the parent organization
9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre / Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity certificate.			
9.2 Note: Information under Column 9 (c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre / organization but still maintaining a lien in his parent cadre / organization			
10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.			
11. Additional details about present employment: Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column) a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organization d) Government Undertaking e) Universities f) Others			
12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.			
13. Are you in Revised Scale of Pay? If Yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale			
14. Total emoluments per month now drawn			

Basis Pay in the PB	Grade Pay	Total Emoluments

15. In case the applicant belongs to an organization which is not following the Central Government Pay-scales, the latest salary slip issued by the organization showing the following details may be enclosed.

Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment	Dearness Pay/ interim relief / other Allowances etc. (with break-up details)	Total Emoluments

16. A **Additional Information,** if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) Professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/ Advertisement) (Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)	
16. **B Achievement:** The candidates are requested to indicate information with regard to; (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarships/Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/societies and; (iv) Patents registered in own name or achieved for the organization (v) Any research / innovative measure involving official recognition (vi) any other information. **(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)**	
17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC)/ Absorption/ Re-employment Basis#. # (Officers under Central/ State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organizations are eligible only for Short Term Contract)	
# (The Option of 'STC' / 'Absorption'/ Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or " Re-employment").	
18. Whether belongs to SC/ ST	

I have carefully gone through the vacancy circular/ advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification / Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed / withheld.

(Signature of the candidate)

Address______________

____

Date______________

Certification by the Employer/Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/ she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy circular, if selected, he/ she will be relieved immediately.

2. Also certified that;

i) There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/ Smt. ________

ii) His/ her integrity is certified.

iii) His/ her CR Dossier in original is enclosed/ photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.

iv) No Major/ Minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years **<u>Or</u>** A list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed (as the case may be).

Countersigned

____

(Employer / Cadre Controlling Authority with Seal)

<u>अनुबंध - 1</u>

<u>जीवनवृत्त/ शैक्षिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव प्रपत्र</u>

1. नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
2. जन्म तिथि (ईसवीं सन् में)	
3. (i) सेवा में आने की तिथि	
(ii) केंद्रीय/राज्य सरकार के अंतर्गत सेवानिवृति की तिथि	
4. शैक्षिक अर्हताएं	
5. पद हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं पूरी हैं अथवा नहीं? (यदि किसी अर्हता को नियमों में विहित किसी अर्हता के समकक्ष माना गया है तो उसके लिए प्राधिकारी का उल्लेख करें)	
<u>विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र में यथाअपेक्षित अर्हताएं/अनुभव</u>	<u>अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं/अनुभव</u>
अनिवार्य	अनिवार्य
(क) अर्हता	(क) अर्हता
(ख) अनुभव	(ख) अनुभव
वांछनीय	वांछनीय
(क) अर्हता	(क) अर्हता
(क) अनुभव	(ख) अनुभव

5.1 टिप्पण: परिपत्र जारी करते समय और रोज़गार समाचार में विज्ञापन जारी करते समय **प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों** में यथाउल्लिखित अनिवार्य और वांछनीय अर्हताओं का उल्लेख करने के लिए इस कॉलम का विस्तार आवश्यकता है।

5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में उम्मीदवार द्वारा वैकल्पिक/मुख्य विषयों और गौण विषयों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

6. कृपया आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों के आलोक में स्पष्ट रूप से बताएँ कि आप पद संबंधी अनिवार्य अर्हताएं और कार्य अनुभव रखते हैं या नहीं।	
6.1 टिप्पण: आदाता विभाग आवेदित पद के संदर्भ में उम्मीदवार द्वारा (जीवनवृत्त में यथाउल्लिखित) उल्लिखित संगत अनिवार्य अर्हताएं/कार्य अनुभव की पुष्टि करते हुए अपनी विशिष्ट टिप्पणी/विचार प्रस्तुत करेंगे।	

7. कालानुक्रमिक क्रम में रोज़गार के विवरण: (नीचे दी गई जगह के कम पड़ने पर एक पृथक पृष्ठ, जिस पर आपके हस्ताक्षर हो, को संलग्न किया जा सकता हैं।)

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	नियमित आधार पर धारित पद का वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर/वेतनमान	कार्य की प्रकृति (विस्तार में) जिसमें आवेदित पद हेतु अपेक्षित अनुभव को रेखांकित किया गया हो

* महत्वपूर्ण: एसीपी/एमएसीपी के तहत प्रदान किया गया वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर/ वेतनमान अधिकारी का निजी मामला है और इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद का वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर/वेतनमान का उल्लेख करें । वर्तमान वेतन बैंक और ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी के विवरण का उल्लेख निम्नानुसार किया जाए, यदि उम्मीदवार ऐसे हितलाभों का उपभोग कर रहा हो:

कार्यालय/संस्थान	एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत आहरित वेतन मैट्रिक्स/ वेतनमान में वेतन	से	तक

8. वर्तमान रोज़गार की प्रकृति, अर्थात तदर्थ या अस्थायी या अर्धस्थायी या स्थायी	
9. वर्तमान रोज़गार के प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर धारित होने के मामले मे कृपया निम्नलिखित जानकारी दें:-	

(क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि	(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि	(ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आवेदक संबंध रखता है	(घ) मूल संगठन में स्थायी रूप से धारित पद का नाम और वेतन

9.1 टिप्पण: अधिकारियों के पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर होने का मामले में, ऐसे अधिकारियों के आवेदनों को उनके मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग निकासी, सतर्कता निकासी और निष्ठा प्रमाणपत्र के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए। 9.2 टिप्पण: व्यक्ति द्वारा संवर्ग/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण करने के साथ-साथ अपने संवर्ग/संगठन में लियन रहने के सभी मामलों में कॉलम 9(ग) और 9(घ) में अपेक्षित जानकारी दी जाय ।	
10. यदि आवेदक द्वारा विगत में प्रतिनियुक्ति पर कोई पद धारित किया गया है, तो पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने की तारीख एवं अन्य विवरण	
11. वर्तमान रोज़गार के संबंध में अतिरिक्त विवरण : कृपया दर्शाएं कि निम्न में से किस के अंतर्गत कार्य कर रहें हैं (संगत कॉलम के सामले अपने नियोक्ता के नाम को दर्शाएं): क) केन्द्रीय सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ङ) अन्य	
12. कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्यरत हैं और फीडर श्रेणी में हैं या फीडर श्रेणी के फीडर पद पर हैं।	
13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो संशोधन की तिथि बताएं और अपना संशोधन-पूर्व वेतनमान भी इंगित करें।	
14. प्रति माह आहरित कुल परिलब्धियां	

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स स्तर में मूल वेतन	कुल परिलब्धियां

15. यदि आवेदक ऐसे संगठन के अंतर्गत कार्यरत है जो केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों का अनुसरण नहीं करता है तो संगठन द्वारा जारी की गई नवीनतम वेतन पर्ची को संलग्न करें जिसमें निम्नलिखित ब्यौरा दर्शाया गया हो:-

मूल वेतन सहित वेतनमान और वेतनवृद्धि की दर	महगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि (कृपया अलग अलग विवरण दें)	कुल परिलब्धियां

16.क. आवेदन किए गए पद के लिए उपयुक्तता के समर्थन में यदि कोई अतिरिक्त संगत सूचना है, तो उसका उल्लेख करें। इसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित से संबंधित सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है : (i) अतिरिक्त शैक्षिक अर्हताएं (ii) पेशेवर प्रशिक्षण और (iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में विहित अनुभव से पृथक किसी कार्य का अनुभव। (टिप्पण : स्थान के अभाव में पृथक रूप से पृष्ठ को संलग्न करें)	
16.ख. उपलब्धियां : आवेदकों से अनुरोध है कि वो निम्नलिखित से संबंधित सूचना को इंगित करें : (i) शोध प्रकाशन और रिपोर्ट एवं विशेष परियोजनाए (ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/कार्यालयीन प्रशंसा-पत्र (iii) व्यवसायिक निकायों /संस्थानों/ समितियों से संबद्धता और ; (iv) स्वयं के नाम पर पंजीकृत अथवा संगठन के लिए हासिल किया कोई पेटेंट (v) कोई शोध/नवाचारी उपाय जिसे सरकारी मान्यता मिली हो (vi) अन्य कोई सूचना। (टिप्पण: स्थान के अभाव में पृथक रूप से पृष्ठ संलग्न करें)	
17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेलन/ पुनर्नियोजन आधार# पर आवेदन कर रहे है? (केवल केन्द्रीय/राज्य सरकार के अंतर्गत आनेवाले अधिकारी "आमेलन" हेतु पात्र होंगे। गैर-सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल अल्पकालिक संविदा हेतु पात्र होंगे)।	
# ('एसटीसी'/'आमेलन"/'पुनर्नियोजन' का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब रिक्ति परिपत्र में "एसटीसी" या 'आमेलन' या 'पुनर्नियोजन' के माध्यम से भर्ती का विशेष उल्लेख किया गया हो)	
18. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं?	

मैने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन   ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूं कि अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेज़ों के साथ जीवन-वृत्त में मेरे द्वारा दी गई सूचना की जांच, चयन समिति द्वारा, पद पर चयिनत होने पर की जायगी । मेरे द्वारा दी गई सूचना सही है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है तथा ऐसे किसी महत्वपूर्ण तथ्य को मैंने छुपाया/दबाया नहीं है जिसका कोई प्रभाव मेरे चयन पर पड़ सकता है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)
पता ....
....
....

दिनांक :

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

1. आवेदक द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचना/विवरण अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य और सही है। आवदेक रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता है। चयन होने पर इन्हें तुरन्त कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

i) श्री/श्रीमती .... के विरूद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।

ii) इनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।

iii) इनका सीआर डोज़ियर मूल रूप में संलग्न है/विगत 5 वर्षों की एसीआर की प्रतिलिपियों को भारत सरकार के अवर सचिव या इससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुप्रमाणित करके संलग्न है।

iv) इन पर गत 10 वर्षों के दौरान कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगायी गई है/गत 10 वर्षों के दौरान इनके ऊपर लगायी गई बड़ी/छोटी शास्तियों की सूची संलग्न की जाती है। (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षरित

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी मोहर के साथ)

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 254.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अनुसंधान अधिकारी (पोषण) भर्ती नियम, 1977 और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, अनुसंधान अधिकारी (गलगण्ड) भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में अनुसंधान अधिकारी (पोषण और आयोडिन अपूर्णता विकार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, अनुसंधान अधिकारी (पोषण और आयोडिन अपूर्णता विकार) भर्ती नियम, 2018 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

निरर्हता: वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन या अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुसंधान अधिकारी (पोषण और आयोडिन अपूर्णता विकार)	02* (2018) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनअनुसचिवीय	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी	**आवश्यक**: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जीव-रसायन विज्ञान या पोषण अथवा गृह विज्ञान में मास्टर डिग्री जिसमें खाद्य और पोषण मुख्य विषय के रूप में रहा हो;

	परिवर्तन किया जा सकता है।				सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त संगठन या कानूनी निकाय अथवा अंतरराष्ट्रीय संगठन, जैसे विश्वव्यापी स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ या केन्द्रीय सरकार या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्थानों द्वारा वित्तपोषत अथवा पोषित राष्ट्रीय संगठनों में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणो के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्त द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ; (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: ऐसे फील्ड अन्वेषक (पोषण और आयोडिन अपूर्णता विकार) जिन्होंने स्तर-4 (25500-81100 रु.) में पंद्रह वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने विभाग द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियुक्ति आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है ;

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
(I) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष (2) सलाहकार (पोषण), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य (3) निदेशक, प्रशासन (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य **(II) विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) उप महानिदेशक,स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष (2) सलाहकार (पोषण), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य (3) निदेशक, प्रशासन (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए. 12018/4/2012-प्रशा.I/स्था.III]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

(DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES)

New Delhi, the 3rd August, 2018

G.S.R. 254 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare Research Officer (Nutrition) Recruitment Rules, 1977 and the Directorate General of Health Services [Research Officer (Goitre)] Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer (Nutrition and Iodine Deficiency Disorders) in the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Research Officer (Nutrition and Iodine Deficiency Disorders) Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc. .**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of the post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Research Officer (Nutrition and Iodine Deficiency Disorders).	02 * (2018) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-ministerial.	Level-7 (Rs. 44900-142400)	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). **Note :** The	**Essential:** (i) Masters Degree in Chemistry or Bio-Chemistry or Nutrition or Home Science with Food and Nutrition as main subject from a recognized University; (ii) One year experience in Nutrition or Supplementary Foods or

					crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagalan, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshadweep.	Nutrition Education or Goitre Control from Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or autonomous Organisation or Statutory body or International Organisation such as World Health Organisation or United Nations International Children's Education Fund or National organisations funded or supported by Central Government or University Grants Commission recognised Universities or recognised Teaching Institutes. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if any, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	(i) 50% by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 50% by deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	**Promotion**: Field Investigator (Nutrition and Iodine Deficiency Disorders) with fifteen years regular service in level-4 (Rs. 25500-81100) and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field as prescribed by Department. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** (1) Deputy Director General, Directorate General of Health Services – Chairman (2) Adviser (Nutrition), Directorate General of Health Service – Member (3) Director Administration (HQ), Directorate General of Health Services– Member **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** (1) Deputy Director General, Directorate General of Health Services –Chairman (2) Adviser (Nutrition), Directorate General of	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

			already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers under the Central or State Governments or Union territories or recognised research institutions or universities or public sector undertakings or semi-government or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience for direct recruits in column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this	Health Services – Member (3) Director Administration (HQ), Directorate General of Health Services – Member	

			appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. A.12018/4/2012-Admn.I/Estt.III]

A. K. GUPTA, Under Secy.